

## न्यायालय जिला कलक्टर, करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

हरिकिशन पुत्र पन्नू जाति माली निवासी ईडर का पुरा तहसील मण्डरायल जिला करौली  
(राज.) - अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मण्डरायल जिला करौली - रेस्पोंडेण्ट

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 11.08.2020 न्यायालय तहसीलदार मण्डरायल  
मुकदमा धारा 91 एल0आर0एक्ट मुकदमा नंबर 166 / 2020 उनवानी सरकार  
बनाम हरिकिशन जिसकी रूह से अपीलान्ट को 3 माह के सिविल कारावास व  
पैनल्टी 20 / - रूपयें से दण्डित किया गया है के तहत धारा 75 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांक 01.12.2020

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की  
धारा 75 के तहत पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी  
खसरा नं. 493 / 372 रकबा 53-10 बीघा किस्म चारागाह बाके ग्राम ईडर का पुरा पटवार  
हल्का धौरैटा तहसील मण्डरायल में से अपीलार्थी द्वारा 1-00 बीघा भूमि पर अतिक्रमण  
करने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा उक्त अतिक्रमण की  
पुष्टि करने पर अपीलार्थी के विरुद्ध वाद संस्थित किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु  
नोटिस जारी किया गया लेकिन अपीलार्थी न तो उपस्थित हुआ और न ही कोई जवाब पेश  
किया। अपीलार्थी के पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होने के कारण आदेश दिनांक 11.08.2020 पारित  
किया गया था जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील, अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन  
नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस  
में कथन किया है कि निर्णय दिनांक 11.08.2020 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार  
मण्डरायल रेस्पोंडेण्ट खिलाफे कानून रूहेदाद मिसल, पूर्णतया आरवीट्रेरी, परिवरिश  
रेस्पोंडेण्ट और विधि प्रावधानों के विपरीत है, निरस्त किये जाने योग्य है। प्रकरण धारा 91  
एल0आर0एक्ट के नोटिस की अपीलान्ट पर विधिवत तामील नहीं हुयी है। अपीलान्ट  
दिनांक 07.08.2020 से पूर्व ही मजदूरी करने सबलगढ़ (मध्यप्रदेश) कस्बे में गया था और  
अपीलान्ट के साथ उसका भाई लालपत भी मजदूरी करने गया था। अपीलान्ट दिनांक 07.  
09.2020 को गांव ईडरकापुरा आया है। जैर अपील निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में  
एकपक्षीय रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना करकर एक ही दिन में सारी  
न्यायिक कार्यवाही कर पारित किया गया है। अपीलान्ट को कोई नोटिस व सुनवाई का  
अवसर नहीं दिया गया है। जैर अपील निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य  
है और पत्रावली पुनः सुनवाई को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने योग्य है।  
प्रकरण में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण के संबंध में कोई पूर्व निर्णय व बेदखली रिपोर्ट की  
प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है अपीलान्ट को पटवारी हल्का को जिरह करने का  
कोई अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट का खसरा नंबर 493 / 372 रकबा 1 बीघा पर  
किसी प्रकार का कब्जा नहीं है। कोई फसल अपीलान्ट द्वारा भूमि पर काशत नहीं की है,  
भूमि खाली पड़ी हुयी है, मवेशियों के चराब में उपयोग होती है। अपीलान्ट इस बाबत  
न्यायालय हाजा में अण्डरटेंकिंग प्रस्तुत करने को तैयार है। ऐसी स्थिति में जैर अपील


निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। निर्णय दिनांक 11.08.2020 न्यायालय तहसीलदार मण्डरायल का है इसलिये न्यायालय श्रीमान को अपील सुनवाई का हक हासिल है। अपील अपीलान्ट निर्णय दिनांक 11.08.2020 कानकल आवेदन दिनांक 10.09.2020 को किया है नकल दिनांक 11.09.2020 को प्राप्त हुयी है दिनांक 12.09.2020 व दिनांक 13.09.2020 का अवकाश रहा है नकल में लगे समय को मुजरा करते हुये अपील अंदर मियाद प्रस्तुत है। अंत में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

राजकीय अधिवक्ता का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नं. 493/372 रकबा 53-10 बीघा किस्म चारागाह बाके ग्राम ईडर का पुरा पटवार हल्का धौरैटा तहसील मण्डरायल में से अपीलार्थी द्वारा 1-00 बीघा भूमि पर अतिक्रमण करने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा उक्त अतिक्रमण की पुष्टि करने पर अपीलार्थी के विरुद्ध वाद संस्थित किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया जो अपीलार्थी के पुत्र पर तामील होकर प्राप्त हुआ। विधि अनुसार उक्त तामील पर्याप्त है। अपीलार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। अपीलार्थी के पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होने के कारण आदेश दिनांक 11.08.2020 पारित किया गया था। वर्तमान में उक्त खसरा नंबर से अपीलार्थी को बेदखल कर दिया गया है एवं फसल की नीलामी कर दी गई है। वर्तमान में प्रार्थी का मौके पर कोई कब्जा नहीं है।

बहस उभयपक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलार्थी द्वारा आराजी खसरा नं. 493/372 रकबा 53-10 बीघा किस्म चारागाह बाके ग्राम ईडर का पुरा पटवार हल्का धौरैटा तहसील मण्डरायल में से अपीलार्थी द्वारा 1-00 बीघा भूमि पर अतिक्रमण किया गया था जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा पेश की गई थी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा उक्त अतिक्रमण की पुष्टि की गई थी। तत्पश्चात् अपीलार्थी को जारी नोटिस के क्रम में वह सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं आये। अपीलार्थी के पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होने के कारण प्रत्यर्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 11.08.2020 पारित किया गया था। तहसीलदार मण्डरायल की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में फसल की नीलामी कर दी गई है एवं अपीलार्थी को उक्त आराजी से बेदखल कर दिया गया है तथा मौके पर अपीलार्थी का कोई अतिक्रमण नहीं है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा उक्त आराजी पर पूर्व में भी अतिक्रमण किया गया है एवं अपीलार्थी द्वारा भविष्य में उक्त आराजी पर पुनः अतिक्रमण किये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अतः अपील, अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है। इस निर्णय से 7 दिवस के अंदर यदि अपीलार्थी न्यायालय तहसीलदार मण्डरायल में इस आशय का शपथ-पत्र पेश कर देता है कि भविष्य में वह उक्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं करेगा एवं यदि वह अतिक्रमण करता है तो उसके बाद होने वाली समस्त कार्यवाही का वह स्वयं जिम्मेदार रहेगा तो तहसीलदार मण्डरायल का उक्त आदेश दिनांक 11.08.2020 अपास्त रहेगा अन्यथा उक्त आदेश दिनांक 11.08.2020 यथावत् रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2020 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सिद्धार्थ सिहाग)

जिला कलक्टर

करौली